



क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
(केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद)
आयुष मंत्रालय भारत सरकार



पिस्ट बॉक्स न०. 70 नजदीक हेड पोस्ट आफिस अलीगढ़ -202001
दूरभाष न०. 0571-2704781, Fax 0571-2701399/ ई-मेल: rriium@rediffmail.com
निविदा प्रस्तुत करने के विवरण

निविदा दस्तावेज स०.	3-128 / 2017- के०.यू०. चि०.अनु०.परि०./ टैक
निविदा मद	ऑट सीटर वाहन किराये हेतु
निविदा की आवश्यकता है	दो भागों में प्रस्तुत 1. वाहन सम्बंधी पूर्ण जानकारी 2. मूल्य बोली (प्रति दिन की दर से) दोनों सील बंद लिफाफो को एक सील बंद लिफाफे में बंद करके देय तिथि तक संस्थान में जमा करें।
निविदा जमा करने की दिनांक एवं समय	11.07.2018 साँय 3:30 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	12.07.2018 साँय 3:00
अग्रिम धन	कुल मूल्य का 3 प्रतिशत

निविदाओं के नियम और शर्तें परिषद वेबसाईड www.ccrum.net या संस्थान से एकत्रित करें।


उपनिदेशक


क्ष०. यू०. चि०. अनु०. संस्थान अलीगढ़


क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अलीगढ़
वाहन सम्बंधी नियम एवं शर्तें

क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अलीगढ़ को निम्न नियमों एवं शर्तों अनुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु।

1. ट्रेविलिंग ऐजेंसी का टेक्सी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. ट्रेविलिंग ऐजेंसी द्वारा सील बंद टैंडर में राशि प्रति दिन की दर से अंकित होना अनिवार्य है।
3. संस्थान को ऑट सीटर वाहन की आवश्यकता है जिस की आन्तरिक एवं बाहरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
4. वाहन मय ड्राइवर के प्रत्येक सप्ताह में 05 दिन प्रातः 8:30 बजे से सांय 4:30 बजे तक संस्थान को देना होगा।
5. संस्थान द्वारा वाहन का प्रयोग प्रति दिन औसतन 30 किलोमीटर होगा।
6. वाहन से सम्बंधित व्यय (ड्राइवर का वेतन, डीजल/पेट्रोल, गाडी में टूट फूट) आदि की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
7. यदि वाहन में कभी भी कोई खराबी आती है तो फर्म को तुरन्त अन्य वाहन की व्यवस्था कर के कार्य को पूर्ण करना होगा।
8. यदि वाहन से किसी भी समय कोई दुर्घटना होती है तो इस की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी संस्थान/इस में बैठा स्टाफ इस का जिम्मेदार नहीं होगा।
9. वाहन से सम्बंधित सभी दस्तावेज एवं ड्राइवर के लाईसेंस की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि संस्थान में जमा करानी होगी।
10. भुगतान बिल प्रतिलिपि में प्रति दिन की दर से माह के अन्त तक संस्थान में प्रस्तुत करना होगा एवं संस्थान द्वारा भुगतान अग्रिम माह की दस तारीख तक बैंक द्वारा ट्रेविलिंग ऐजेंसी के नाम पर किया जायेगा।


(अनस सलीम काजी)
यू०.टी०. भंडार
दिनांक 30.06.2018


कनि०.प्रशा०.अधि०.


उपनिदेशक